



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव/Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-242812
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

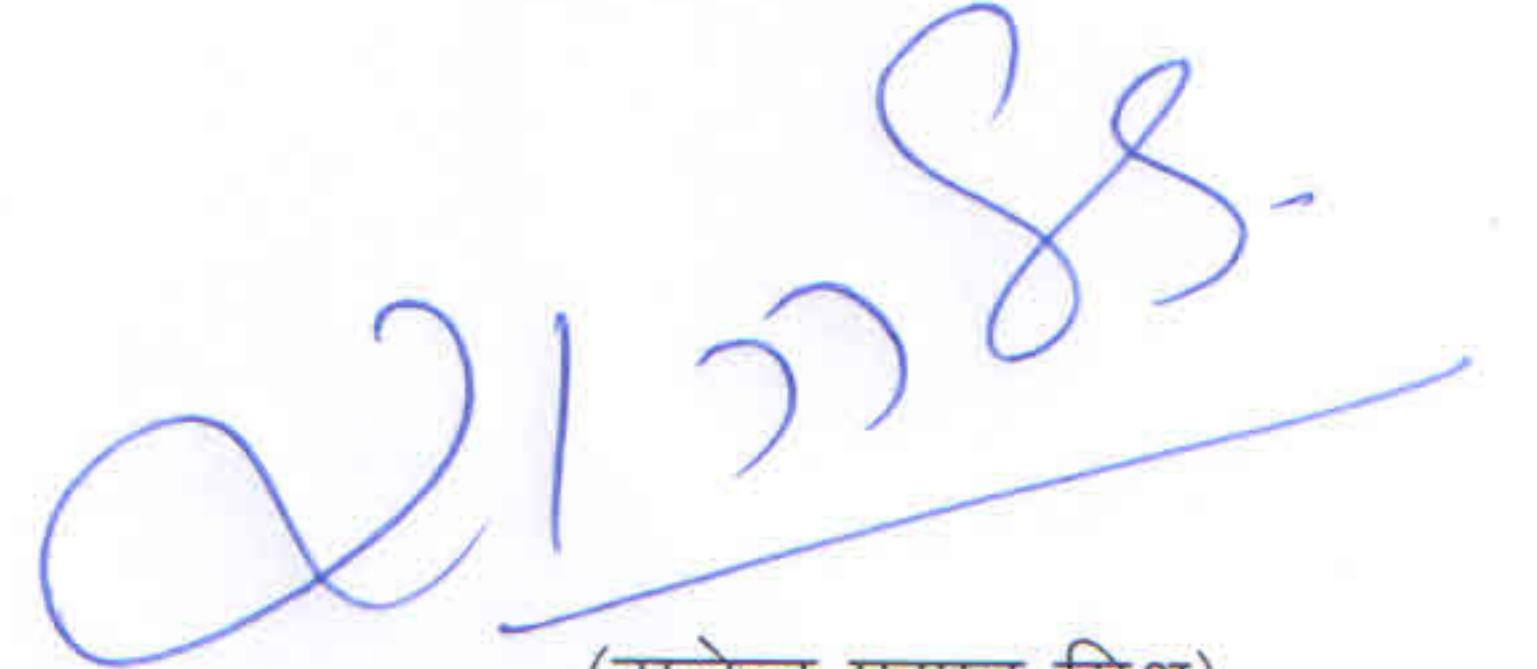
पत्रांक: 15/2009/MMC/10 (3-3)/2013/381

दिनांक: 06/08/2016

परिपत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के पैरा 6.1 व 6.2 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में नियमित रूप से नियुक्त वे आचार्य जिनके किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम 05 (पाँच) शोध आलेख प्रकाशित हों तथा नियमित रूप से नियुक्त वे सह-आचार्य एवं सहायक-आचार्य जो पी-एच.डी. डिग्री धारक हों एवं संदर्भित पत्रिका में जिनके 02 (दो) शोध आलेख प्रकाशित हों, वे ही शोध निर्देशक बन सकते हैं।

विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही केवल शोध-निर्देशक के तौर पर नामित किए जाएंगे।


(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
4. विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष।
5. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)।
6. सभी विभाग/केंद्र प्रमुख को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने के अनुरोध के साथ।
7. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद/क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
8. परीक्षा विभाग।
9. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. कार्यालय प्रति।